

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 07/10/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 06.10.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानियाँ पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 353/25 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 5n/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 06.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना जमानिया हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/25 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 5n/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अर्जुन राम पुत्र मामु राम निवासी लोदीपुर कस्बा जमानियाँ थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर को बब्बनपुर गंगा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अर्जुन राम पुत्र मामु राम निवासी लोदीपुर कस्बा जमानियाँ थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 353/25 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 5n/6 पाक्सो एक्ट थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

02- थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 741/2025 धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.09.2025 को वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादिनी के तहरीर पर मु0अ0सं0 741/2025 धारा 137(2),87 बीएनएस पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना दिनांक 26.09.2025 को पिड़िता को बरामद कर मेडिकल बयान से उक्त मुकदमे में धारा 64(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर तथा अभियुक्त कृष्णा बिन्द पुत्र मिड्डु बिन्द निवासी ग्राम जलालपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष को लंका बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

1.कृष्णा बिन्दु पुत्र मिड्डु बिन्दु निवासी ग्राम जलालपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 18 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 741/2025 धारा 137(2),87, 64(2) BNS व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

03- थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा 01अदद चोरी की मोटर साइकिल व 01 अदद देशी रिवाल्वर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में दिनांक 05.10.2025 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार सिंह चौकी प्रभारी सेवराई थाना गहमर गाजीपुर मय हमराह देखभाल क्षेत्र के क्रम में चेकिंग के दौरान मनिया रोड़ परिमन शाह पोखरा सेवराई के पास दो व्यक्ति पकड़े गये पहले व्यक्ति का नाम लालू चौहान पुत्र राम प्रवेश चौहान निवासी वार्ड नं 1 नुवावं थाना- नुवावं जनपद कैमूर-बिहार जिसकी जामा तलाशी में उसके पहने हुए पैण्ट की बायीं फेट में खुशा हुआ एक रिवाल्वर देशी बरामद हुआ एवं पहने पेट की बायीं जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ । दूसरे व्यक्ति का नाम जमील फारुकी पुत्र फिरोज फारुकी निवासी अखलासपुर वार्ड नं0 11 थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार बताया जिसके पास से 01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर की पैसन प्रो वारंग काली सफेद/ लाल पट्टी बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-214/2025 धारा-317(2),317(5) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.लालू चौहान पुत्र राम प्रवेश चौहान निवासी वार्ड नं 1 नुवावं थाना नुवावं जनपद कैमूर बिहार उम्र 25 वर्ष

2.जमील फारुकी पुत्र फिरोज फारुकी निवासी अखलासपुर वार्ड नं0 11 थाना भभुआ जिला कैमूर बिहार उम्र 20 वर्ष बरामदगी का विवरण –

1.एक रिवाल्वर देशी व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

2.01 अदद मोटर साइकिल बिना नम्बर की पैसन प्रो वारंग काली सफेद/ लाल पट्टी

04- थाना खानपुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 21.03.2025 को हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम निवासी ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध की गई रासुका(NSA) की कार्यवाही

दिनांक- 21.03.2025 को खानपुर ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में स्थित मलदहिया बगीचा, पुराना पोखरा के पास अनुराग सिंह पुत्र संजय सिंह एवं अमन चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान निवासी ग्राम चिलौना कला पोस्ट विक्रमपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त 1 .मेराज पुत्र कासिम ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 2 .अंकित सोनकर पुत्र पिन्टू सोनकर ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 22.03.2025 (24 घण्टे के अन्दर) को पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं 3 .अफताब उर्फ गुड्डू पुत्र मुख्तार ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 4 .इकरार पुत्र मुख्तार ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 06.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं 5 .साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र गुड्डू ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को दिनांक 15.04.2025 को पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है । अभियुक्त गण के द्वारा किये गये कृत्यों से खानपुर क्षेत्रांतर्गत उचौरी में आम जनमानस व्यापारियों व बूढ़े एवं बच्चों भय व्याप्त हो गया था । घटना के उपरान्त मौके पर पूर्णतः लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, लोगों का अपने घरों से बाहर निकला दूभर हो गया था तथा खानपुर क्षेत्रांतर्गत उचौरी में स्थित सभी दुकाने एवं स्कूल तथा कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था । पीड़ित परिवारों के द्वारा लगातार अपने जान माल का खतरा बताया जाता रहा है तथा इस सम्बन्ध में लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में निरन्तर पुलिस प्रबन्ध किया गया तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहयोग से निरन्तर लोगो में कानून के प्रति विश्वास की भावना पैदा करने ,क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था व आम जनता में भय को समाप्त करने एवं सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने हेतु थाने की पुलिस फोर्स व जनपद की पुलिस फोर्स एवं पी0एस0सी0 बल के साथ निरन्तर भ्रमणशील रहकर अथक प्रयास किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक- 06.10.2025 को अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई है ।

अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास –

01- मु0अ0सं0 94/25 धारा 103(1)/190/191(2)/191(3)/61(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना खानपुर गाजीपुर

02- मु0अ0सं0 95/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आम्स एक्ट थाना खानपुर गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर